**भारत सरकार**

**कोयला मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या : 472**

**जिसका उत्तर 06 दिसंबर, 2023 को दिया जाना है**

**कोल बेड मीथेन खनन**

**472. श्रीमती पूनम महाजन:**

**श्री राजेश नारणभाई चुडासमाः**

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कोयला खदानों से कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के खनन को बढ़ावा देने हेतु कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं और ब्यौरा क्या हैं;

(ग) वर्तमान वर्ष के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा स्वीकृत और जारी की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

(घ) सरकार द्वार सीबीएम खनन के माध्यम से कितनी मात्रा में गैस का निष्कर्षण का लक्ष्य रखा गया है और कंपनियों को गैस निष्कर्षण हेतु कितने ब्लॉक आवंटित किए गए हैं; और

(ङ) कितने ब्लॉकों में उक्त कार्य शुरू हो गया है?

**उत्तर**

**संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री**

**(श्री प्रल्हाद जोशी)**

**(क) :** भारत सरकार ने 1997 में एक **सीबीएम** नीति तैयार की और सीबीएम के विकास के लिए सहयोगात्मक तरीके से कार्य करने के लिए कोयला मंत्रालय और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। नीति के अनुसार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) प्रशासनिक मंत्रालय बन गया और हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डीजीएच) को देश में सीबीएम के विकास के लिए नोडल एजेंसी

बनाया गया। कोयला मंत्रालय (एमओसी) के परामर्श से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कोयला धारी क्षेत्रों से सीबीएम ब्लॉकों की पहचान की है और उनकी पेशकश की है।

कोल बेड मीथेन (सीबीएम) नीति 1997 के आंशिक संशोधन में, 2018 में भारत सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारक क्षेत्रों से **सीबीएम के अन्वेषण और दोहन अधिकार** प्रदान किए, जिनके लिए उनके पास कोयले के लिए खनन पट्टे हैं।

**(ख) :** भारत सरकार ने **सीबीएम** अन्वेषण और विकास के लिए नीचे दी गई कई नीतियों को अधिसूचित किया है:

1. **वर्ष 2007 में**, सीबीएम संविदाओं के अंतर्गत अन्वेषण चरणों में विस्तार प्रदान करने के लिए एक पारदर्शी और सुसंगत ढांचा प्रदान करने के लिए सीबीएम **चरण और विस्तार नीति** तैयार की गई थी।

2. **2015 में (**2018 में पुन: अधिसूचित), भारत सरकार **ने कोल इंडिया** लिमिटेड (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को आवंटित कोयला खनन पट्टे के तहत अपने क्षेत्रों से सीबीएम के अन्वेषण और उत्पादन करने की अनुमति दी, जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अतिरिक्त लाइसेंस की आवश्यकता समाप्त हो गई। इसे सीबीएम अन्वेषण के तहत क्षेत्र को बढ़ाने और कोयला खनन क्षेत्रों से देश में सीबीएम उत्पादन को बढ़ाने और तेज करने के लिए तैयार किया गया था।

3. **2016 में, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति (एचईएलपी)** के तहत एकीकृत लाइसेंसिंग नीति पेश की गई थी जिसमें पारंपरिक और अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन संसाधनों के सभी प्रकारों के अन्वेषण और उनका दोहन करने की अनुमति दी गई थी। ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग पॉलिसी (ओएएलपी) वह है जो क्षेत्रों से अन्वेषण और उत्पादन करने के लिए या तो मुक्त हैं या त्याग दिए गए हैं। पहले से खोजे गए क्षेत्रों से संसाधनों का दोहन करने के लिए खोजे गए लघु क्षेत्र (डीएसएफ) नीति है। एचईएलपी व्यवस्था के भीतर दो ऐसी नीतियां हैं।

4. **2017 में,** सीबीएम सहित प्राकृतिक गैस के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने और गैस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए **सीबीएम के प्रारंभिक मुद्रीकरण के** लिए एक नीतिगत ढांचा पेश किया गया था। यह नीति कोल बेड मीथेन (सीबीएम) के लिए विपणन और मूल्य निर्धारण स्वतंत्रता प्रदान करने और मौजूदा ब्लॉकों में परिचालन संबंधी मुद्दों को सुव्यवस्थित करने के लिए तैयार की गई थी।

5. **2018 में,** भारत सरकार ने मौजूदा उत्पादन साझेदारी अनुबंधों (पीएससी), कोल बेड मीथेन (सीबीएम) अनुबंधों और नामांकन क्षेत्रों के तहत मौजूदा एकड़ में **अपरंपरागत हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए** एक नीतिगत ढांचे को अधिसूचित किया।

6. 2018 में, भारत सरकार ने **कोल इंडिया लिमिटेड** (सीआईएल) और इसकी सहायक कंपनियों को कोयला धारक क्षेत्रों से अन्वेषण और दोहन अधिकार देने के लिए समेकित नियम और शर्तों को अधिसूचित किया, जिनके लिए उनके पास कोयले के लिए खनन पट्टा है।

**(ग)** : सीबीएम ब्लॉक में निवेश ब्लॉक के संबंधित ठेकेदार द्वारा किया जाता है ।

**(घ) और (ङ)** : पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सीबीएम बोली दौर I से IV (2001, 2003, 2005 और 2008) शुरू किया, जिनमें से 8 ब्लॉक प्रचालनाधीन हैं और उत्पादन/विकास चरण में हैं। इन 8 ब्लॉकों का कुल क्षेत्रफल 2430 वर्ग किमी है।

2021 में, भारत सरकार ने विशेष सीबीएम बोली दौर (एससीबीएम -21) शुरू किया और लगभग 3860 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करने वाले 4 सीबीएम ब्लॉक प्रदान किए। ये सभी 4 सीबीएम ब्लॉक अन्वेषण के चरण में है।

वर्तमान में, **12 सीबीएम ब्लॉक सक्रिय** हैं, जिनमें से 5 उत्पादन चरण में हैं, 3 विकास चरण में हैं और 4 ब्लॉक (एससीबीएम-21 के दौरान सौंपे गए) अन्वेषण चरण में हैं।

सक्रिय सीबीएम ब्लॉकों (12) का कुल पूर्वानुमानित सीबीएम संसाधन लगभग 480 बीसीएम है, जिसमें से 6.13 बीसीएम सीबीएम का उत्पादन अक्टूबर-2023 तक किया गया है।

वित्त वर्ष 2024-25 तक 12 सक्रिय सीबीएम ब्लॉकों से सीबीएम उत्पादन का अनुमान नीचे दिया गया है:

| | ***एमएमएससीएम*** |
|---|---|
| **2023-24** | **2024-25** |
| 844 | 1133 |

*****